

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail:-wcd-raigarh@cg.gov.in

क्र./ 6836/मबावि/मि.श./2025-26

रायगढ़, दिनांक 09/02/2026

// विज्ञापन //

भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का आरंभ किया गया है। मिशन शक्ति के उपयोजना शीर्ष सामर्थ्य अंतर्गत स्वाधार एवं उज्ज्वला गृह योजना को समाहित कर शक्ति सदन-एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह योजना का संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है। शक्ति सदन का प्रभावी संचालन एवं सुचारु क्रियान्वयन के लिए नियुक्ति किया जाना है, इस हेतु पात्र आवेदकों से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 24.02.2026 तक विभाग की वेबसाइट (उपरोक्त दर्शाये गये) <https://wcd.e-bharti.in/Raigarh> पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	संविदा नियमानुसार मासिक वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
1	2	3	4	5
1	आवासीय अधीक्षक	01	20900	07
2	कार्यालय सहायक	01	16310	05
3	बहुउद्देशीय सहायक	02	11720	02
4	रसोईयां	02	6135 (अर्द्धकालीन संविदा)	02
5	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	03	11360	01

उपरोक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	पद संख्या				
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग
1	आवासीय अधीक्षक	01	00	00	00	01
2	कार्यालय सहायक	01	00	00	00	01
3	बहुउद्देशीय सहायक	01	01	00	00	02
4	रसोईयां	01	01	00	00	02
5	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	01	01	00	01	03

- a. भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शी निर्देश अंतर्गत "शक्ति सदन" हेतु कर्मचारियों के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हताएं एवं वित्तीय मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा -

b.

क्र.	पद का नाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय शर्तें
1	आवासीय अधीक्षक	विधि/सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र / सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	शासकीय/अशासकीय परियोजना/कार्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र में प्रशासनिक/प्रबंधकीय पद पर कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा उसी पद के भीतर या बाहर काउंसिलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	स्थानीय समुदाय / क्षेत्र के महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। ताकि केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु मानव संसाधन एवं विशेषज्ञता।
2	कार्यालय सहायक	किसी भी विषय में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस में कार्य करने करने की क्षमता	राज्य या जिला स्तर पर शासकीय/अशासकीय संगठनों में कार्यालयीन कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	—
3	बहुउद्देशीय सहायक	आठवीं उत्तीर्ण	—	संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव।	—
4	रसोइया	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल (दसवीं उत्तीर्ण) या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता	—	संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव।	—
5	सुरक्षा गार्ड / चौकीदार	आठवीं उत्तीर्ण	—	राज्य/जिला स्तर पर शासकीय या प्रतिष्ठित संस्थान में सुरक्षागार्ड के रूप में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	सेवानिवृत्त सैन्य/अर्द्ध-सैन्य व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

- c. शक्ति सदन में समस्त कर्मचारी महिलाएं होंगी।
- d. शक्ति सदन के संचालन हेतु कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं किया जायेगा। संस्था में संविदा आधार पर कर्मचारी के नियुक्ति के पूर्व चरित्र/अन्य संबंधी सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- e. उपरोक्त कर्मचारियों के संविदा वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही संविदा वेतन दिया जायेगा।

2. वेतन भत्ते एवं सुविधा :-

- 2.1 शक्ति सदन हेतु निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है तथा अन्य सुविधाएं (अवकाश, यात्रा भत्ता व्यय एवं वेतन भारत शासन की वित्तीय सीमा के भीतर) छत्तीसगढ़ राज्य में गठित राज्य संविदा भर्ती नियम के अनुसार होगा, यह पद योजना के पद है। अतः विभागीय सेटअप में

शामिल नहीं किया जायेगा अपितु योजना संचालन तक भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार संविदा अवधि तक तथा निर्धारित संविदा वेतन पर होंगे।

- 2.2 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रं. 01 की सारणी क्रं. 04 में उल्लेखित है तथा योजनावधि में नियुक्त कर्मचारियों को एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन/भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 2.3 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरान्त समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. आयु सीमा एवं अनुभव :-

- 3.1 शक्ति सदन के आवासीय अधीक्षक हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 3.2 शक्ति सदन के कार्यालय सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 3.3 शक्ति सदन के शेष पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 3.4 आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या शाला का दाखिल खारिज पंजी / कक्षा 5वीं/8वीं/10 वीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अंकसूची की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 3.5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को राशि 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.6 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/ सत्यापित होना चाहिये।
- 3.7 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 3.8 आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 3.9 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।
- 3.10 शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैरसरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में संस्था को यदि किसी विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है तो उस विभाग के सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र हीमान्य किया जावेगा।
- 3.11 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- 3.12 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन देना होगा।
- 3.13 आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित आर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर

पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

- 3.14 दावा आपत्ति के समय कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 3.15 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यकता हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है।
- 3.16 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 3.17 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

4. नियुक्ति प्रक्रिया :-

- 4.1 मिशन शक्ति योजनांतर्गत शक्ति सदन के संचालन हेतु स्वीकृत 09 पदों पर नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 4.2 मिशन शक्ति योजनांतर्गत जिले में शक्ति सदन संचालन हेतु स्वीकृत पदों की नियुक्ति जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जा कर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जावेगी। चयन समिति जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
- 4.4 भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली निर्धारित की जायेगी। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे -
- 4.4.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको वेटेज देते हुये 60 अंक।
- 4.4.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 20 अंक।
- 4.4.3 उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
- 4.4.4 वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है, वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।
- 4.4.5 अभ्यर्थियों के चयन हेतु मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जायेगी।
- 4.4.6 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर कं 4.3 के उप कंडिका 4.4.1, 4.4.2 एवं 4.3.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट सूची में से प्रत्येक पद के 1:5 के अनुपात में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी एवं चयन किया जायेगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

5. नियुक्ति अवधि :-

- 5.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जायेगा। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवहार, विभाग की आवश्यकता तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि प्रत्येक बार 01 या 02 वर्ष



के लिये जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी। संविदा की यह अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- 5.2 नियुक्ति अवधि में शक्ति सदन के प्रावधान के अनुसार संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इन कर्मचारियों को अवकाश सुविधा की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) अनुसार ही देय होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा।
- 5.3 योजना के 09 पद संविदा वेतन के पद स्थायी नहीं है तथा नियुक्त कर्मियों के द्वारा अच्छे अवसर प्राप्त होने पर त्याग पत्र दिये जाने की सतत प्रक्रिय होती है। अतः इन पदों पर त्याग पत्र स्वीकृत होने के उपरांत रिक्त हुए पदों पर पुनः नियुक्ति के अधिकार जिला कलेक्टर को ही होंगे। इस हेतु वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला रायगढ़ (छ.ग.)